



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112021-231402
CG-DL-E-26112021-231402

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943

No. 597]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं.पीआर-295/2014-डीडी/313/2014-डीसी/550/2017 और पीआर-33/2016-डीडी/97/2016-डीसी/1028/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. कोटिला वीटिल शंकरन (सदस्यता संख्या 033960), सी 909, महावीर ट्रिंकेट्स, कंजुर मार्ग रेलवे स्टेशन के सामने, कंजुरमार्ग पश्चिम, मुंबई 400 078 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (10) और भाग 2 की मद (4) (प्रथम मामले में) तथा दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (10) और पहली अनुसूची के भाग 4 की मद (2) (दूसरे मामले में) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक/अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप तारीख 18 अगस्त, 2020 और 27 मई, 2021 को आयोजित अपनी बैठकों में पारित आदेशों के द्वारा उपर्युक्त सीए. कोटिला वीटिल शंकरन (सदस्यता संख्या 033960) के नाम को उपरोक्त मामलों में से प्रत्येक में 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का

जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अतिरिक्त अनुशासन समिति ने तारीख 27 मई, 2021 को आयोजित बैठक में पारित आदेश के द्वारा यह भी आदेश दिया है कि यदि प्रत्यर्थी सीए. कोटिला वीटिल शंकरन (सदस्यता संख्या 033960) अनुबंधित समय, अर्थात् 30 दिन की अवधि के भीतर जुर्माना जमा कराने में असफल रहता है तो उसके नाम को 06 (छह) मास की अतिरिक्त अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि दोनों पूर्वोक्त मामलों में दंड एक साथ चलेगा। चूंकि प्रत्यर्थी यथा अनुबंधित जुर्माना जमा कराने में असफल रहा है, अतः, इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. कोटिला वीटिल शंकरन (सदस्यता संख्या 033960) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 05 (पांच) वर्ष और अतिरिक्त 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./461/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-295/2014-DD/313/2014-DC/550/2017 and PR-33/2016-DD/97/2016-DC/1028/2019.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Kotila Veetil Shankaran (Membership No. 033960), C 909, Mahavir Trinkets, Opp Kanjur Marg Railway Station, Kanjurmarg West, MUMBAI 400 078**, guilty of Professional/Other Misconduct falling within the meaning of Item (10) of Part I and Item (4) of Part II of the Second Schedule (in the first case) and Item (10) of Part I of Second Schedule and Item (2) of Part IV of the First Schedule (in the second case), to the aforesaid Act and consequently vide orders passed in meetings dated 18th August, 2020 and 27th May, 2021, ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Kotila Veetil Shankaran (Membership No. 033960)** from the Register of Members for a period of 05(Five) years and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only in each of the above cases. The Disciplinary Committee vide order passed in meeting dated 27th May, 2021, further ordered that if the Respondent, **CA. Kotila Veetil Shankaran (Membership No. 033960)**, fails to deposit the fine within the stipulated time i.e. 30 days, his name should be removed from the Register of Members for a further period of 06(six) months. The Committee also clarified that the punishment shall run concurrently in both the aforesaid cases. Since, the Respondent failed to deposit the imposed fine as stipulated, in pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Kotila Veetil Shankaran (Membership No. 033960)**, shall stand removed for a consolidated period of 05(Five) years plus additional 06(six) months from the Register of Members with effect from 26th November, 2021.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./461/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112021-231403
CG-DL-E-26112021-231403

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 598]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943

No. 598]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-219/2014-डीडी/236/2014-डीसी/569/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. विकास कुमार खेतान (सदस्यता सं. 063352), 2296, 24वां मेन, 16वां क्रॉस, एचएसआर लेआउट, सेक्टर 1, बेंगलुरु-560 102 (कर्नाटक) को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. विकास कुमार खेतान (सदस्यता सं. 063352) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 10,000/- रुपए (दस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. विकास कुमार खेतान (सदस्यता सं. 063352) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./462/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-219/2014-DD/236/2014-DC/569/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Vikas Kumar Khaitan (Membership No. 063352), 2296, 24th Main, 16th Cross, HSR Layout, Sector 1, BENGALURU -560 102. (Karnataka)**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Vikas Kumar Khaitan (Membership No. 063352)** from the Register of Members for a period of 01(One) year and also imposed a fine of Rs. 10,000/-(Rupees Ten Thousand) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Vikas Kumar Khaitan (Membership No. 063352)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) year with effect from 26th November, 2021.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./462/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112021-231410
CG-DL-E-26112021-231410

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 599]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्राहायण 5, 1943

No. 599]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-283/2014-डीडी/300/2014-डीसी/625/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. विजय कुमार शर्मा (सदस्यता सं. 415357), एससीओ 13, फेज 9, औद्योगिक क्षेत्र, मोहाली (पंजाब) 160 062 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. विजय कुमार शर्मा (सदस्यता सं. 415357) के नाम को 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. विजय कुमार शर्मा (सदस्यता सं. 415357) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 06 (छह) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./463/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-283/2014-DD/300/2014-DC/625/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Vijay Kumar Sharma (Membership No. 415357), SCO 13, Phase 9, Industrial Area, MOHALI (Punjab) 160 062**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses ((7) & (8) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Vijay Kumar Sharma (Membership No. 415357)** from the Register of Members for a period of 06(Six) months. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Vijay Kumar Sharma (Membership No. 415357)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 06(Six) months with effect from 26th November, 2021.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./463/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112021-231411
CG-DL-E-26112021-231411

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 600]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्राहायण 5, 1943

No. 600]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-167/2015-डीडी/154/2015-डीसी/754/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. देबा प्रसाद मिश्रा (सदस्यता सं. 062771), प्लॉट नंबर 478/812, एआईजीएसएनआईए, अलुगड़ी के समीप, खंडगिरी, भुवनेश्वर 751 019 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (10) और पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक और/या अन्य कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. देबा प्रसाद मिश्रा (सदस्यता सं. 062771) के नाम को 10 (दस) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है और उक्त जुर्माना जमा कराने में असफल रहने की दशा में उसके नाम को 06 (छह) मास की आगे और अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। चूंकि प्रत्यर्थी अधिरोपित जुर्माना जमा कराने में असफल रहा है, अतः, अनुशासन समिति के पूर्वोक्त निर्णय के अनुसरण में

और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. देबा प्रसाद मिश्रा (सदस्यता सं. 062771) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 126 (एक सौ छब्बीस) मास की समेकित [10 (दस) वर्ष धन अतिरिक्त 06 (छह) मास] अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./464/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-167/2015-DD/154/2015-DC/754/2018.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Deba Prasad Misra (Membership No. 062771), Plot No. 478/812, AIGSNIA, Near Alugadi, Khandagiri, BHUBANESWAR 751 019**, guilty of Professional and/or Other Misconduct falling within the meaning of Clause (10) of Part I of Second Schedule and Clause (2) of Part IV of First Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Deba Prasad Misra (Membership No. 062771)** from the Register of Members for a period of 10(Ten) years and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only and in the event of non-payment of said fine, his name be removed for a further period of 6(six) months. Since the Respondent failed to pay the imposed fine, in pursuance of the aforesaid decision of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Deba Prasad Misra (Membership No. 062771)**, shall stand removed from the Register of Members for a consolidated period of 126 (one hundred and twenty six) months [10(ten) years plus additional 6(six) months] with effect from 26th November, 2021.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Extty./464/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231418
CG-DL-E-27112021-231418

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943

No. 596]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-98/2011-डीडी/14/2012-डीसी/332/2014.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. रवि अग्रवाल (सदस्यता सं. 407938), 238, रतनदीप काम्प्लेक्स, चौकी चौराहा, बरैली 243 001 (उत्तर प्रदेश) को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7), (8) और (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. रवि अग्रवाल (सदस्यता सं. 407938) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. रवि अग्रवाल (सदस्यता सं. 407938) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./460/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA*(Set up by an Act of Parliament)***NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-98/2011-DD/14/2012-DC/332/2014.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Ravi Agarwal (Membership No. 407938), 238, Ratandeep Complex, Chowki Chouraha, BAREILLY 243 001(Uttar Pradesh)**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (7), (8) & (9) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Ravi Agarwal (Membership No. 407938)** from the Register of Members for a period of 01(One) year and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/-(Rupees One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Ravi Agarwal (Membership No. 407938)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) year with effect from 26th November, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./460/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231419
CG-DL-E-27112021-231419

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 601]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्राहायण 5, 1943

No. 601]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/306/15/डीडी/16/16-डीसी/779/18.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. निखिलकुमार हसमुखभाई जानी (सदस्यता संख्या 124684), एफ-16, सिल्वर प्लाजा, नवजीवन मिल कंपाउंड, कलोल 382 721 (गुजरात) को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) और (8) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. निखिलकुमार हसमुखभाई जानी (सदस्यता संख्या 124684) के नाम को 15 (पन्द्रह) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. निखिलकुमार हसमुखभाई जानी (सदस्यता संख्या 124684) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 15 (पन्द्रह) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./465/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA*(Set up by an Act of Parliament)***NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/306/15/DD/16/16-DC/779/18.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Nikhilkumar Hasmukhbhai Jani (Membership No. 124684), F-16, Silver Plaza , Navjivan Mill Compound, KALOL 382 721(Gujarat)**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (7) & (8) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Nikhilkumar Hasmukhbhai Jani (Membership No. 124684)** from the Register of Members for a period of 15(Fifteen) days. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Nikhilkumar Hasmukhbhai Jani (Membership No. 124684)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 15(Fifteen) days with effect from 26th November, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./465/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231420
CG-DL-E-27112021-231420

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 604]
No. 604]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-60/2019-डीडी/90/2019-डीसी/1326/2020.— चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. नितिन मधुसूदनजी मंत्री (सदस्यता संख्या 132470), 404, कौटिल्य तक्षशिला परिसर, क्रमांक सं.5, हिस्सा सं.2, विजन स्कूल के समीप/जेएसपीएम, पुणे- 411 041 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 की मद (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. नितिन मधुसूदनजी मंत्री (सदस्यता संख्या 132470) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. नितिन मधुसूदनजी मंत्री (सदस्यता संख्या 132470) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./468/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA*(Set up by an Act of Parliament)***NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-60/2019-DD/90/2019-DC/1326/2020.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Nitin Madhusudanji Mantri (Membership No. 132470), 404, Kautilya Takshashila Complex, S No. 5, Hissa No. 2, Near Vision School/ JSPM, PUNE- 411 041**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Item (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Nitin Madhusudanji Mantri (Membership No. 132470)** from the Register of Members for a period of 01(One) month. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Nitin Madhusudanji Mantri (Membership No. 132470)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 26th November, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./468/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231421
CG-DL-E-27112021-231421

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943

No. 605]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/186/17/डीडी/170/टीएमसी/आईएनएफ/17-डीसी/1169/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. मदाला गलिश्वरा राव (सदस्यता सं. 029893), सेवानिवृत्त कार्यकारी निदेशक, एपीएसआरटीसी, 24-3-11/201, सुमाश्री रेजीडेंसी, मेन स्ट्रीट, भीमावरम 534 202 (आंध्र प्रदेश) को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. मदाला गलिश्वरा राव (सदस्यता सं. 029893) के नाम को 02 (दो) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 5,00,000/- रुपए (पांच लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। समिति ने यह भी आदेश दिया है कि यदि अधिरोपित जुर्माने की रकम तीन मास के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो उसका नाम आगे और 02 (दो) मास की अवधि के लिए हटा दिया जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार अधिरोपित जुर्माना प्राप्त हो गया है। तदनुसार, इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2)

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. मदाला गलिश्वरा राव (सदस्यता सं. 029893) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 02 (दो) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./469/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/186/17/DD/170/TAMC/INF/17-DC/1169/2019.— In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Maddala Galiswara Rao (Membership No. 029893), Retired Executive Director, APSRTC, 24-3-11/201, Sumasri Residency, Main Street, BHIMAVARAM 534 202(Andhra Pradesh)**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Maddala Galiswara Rao (Membership No. 029893)** from the Register of Members for a period of 02(Two) months and also imposed a fine of Rs. 5,00,000/-(Rupees Five Lakhs) only. The Committee also ordered that in case the imposed fine is not received within three months, his name be removed for a further period of 02(two) months. It is noted that the fine, so imposed, has been received. Accordingly, in pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Maddala Galiswara Rao (Membership No. 029893)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 02(two) months with effect from 26th November, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./469/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231422
CG-DL-E-27112021-231422

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 612]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943

No. 612]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/248/2013-डीडी/244/2013/बीओडी/228/2016.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन बोर्ड ने, सीए. अजय अग्रवाल (सदस्यता सं. 054233), बी-602, ऐश्वर्या अपार्टमेंट, एलोरा पार्क, वदोदरा -390 001 को, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. अजय अग्रवाल (सदस्यता सं. 054233) के नाम को 02 (दो) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. अजय अग्रवाल (सदस्यता सं. 054233) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 02 (दो) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./476/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA*(Set up by an Act of Parliament)***NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/248/2013-DD/244/2013/BOD/228/2016.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Ajay Agarwal (Membership No. 054233), B-602, Aishwarya Apartment, Ellora Park, VADODARA - 390 001**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of the First Schedule read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of **CA. Ajay Agarwal (Membership No. 054233)** from the Register of Members for a period of 02(Two) months and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Ajay Agarwal (Membership No. 054233)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 02(Two) months with effect from 26th November, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./476/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231423
CG-DL-E-27112021-231423

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 613]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943

No. 613]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/102/15-डीडी/70/आईएनएफ/2016-डीसी/931/2018 .—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. रौनक भूत (सदस्यता संख्या 149575), 301, अभितश्री एड्रोएट, स्वामी नारायण मंदिर के समीप, मानसी सर्कल, वस्त्रपुर, अहमदाबाद 380 052 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. रौनक भूत (सदस्यता संख्या 149575) के नाम को 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. रौनक भूत (सदस्यता संख्या 149575) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./477/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/102/15-DD/70/INF/2016-DC/931/2018.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Ronak Bhut (Membership No. 149575), 301, Abhitshree Adroit, Near Swami Narayan Temple, Mansi Circle, Vastrapur, AHMEDABAD 380 052**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Ronak Bhut (Membership No. 149575)** from the Register of Members for a period of 02(Two) years. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Ronak Bhut (Membership No. 149575), shall stand removed from the Register of Members for a period of 02(Two) years with effect from 26th November, 2021.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./477/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231424
CG-DL-E-27112021-231424

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 614]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्राहायण 5, 1943

No. 614]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/102ए/15-डीडी/71/आईएनएफ/2016-डीसी/932/2018 .—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. उज्जवलकुमार वल्लभदास चनियारा (सदस्यता संख्या 151776), 513, ब्रज वलेशिया, महिंद्रा शोरूम के पीछे, सोला ओवरब्रिज के समीप, अहमदाबाद 380 060 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. उज्जवलकुमार वल्लभदास चनियारा (सदस्यता संख्या 151776) के नाम को 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. उज्जवलकुमार वल्लभदास चनियारा (सदस्यता संख्या 151776) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./478/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/102A/15-DD/71/INF/2016-DC/932/2018.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Ujjavalkumar Vallabhdas Chaniyara (Membership No. 151776), 513, Vraj Valencia, Behind Mahindra Showroom, Near Sola Overbridge, AHMEDABAD 380 060**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Ujjavalkumar Vallabhdas Chaniyara (Membership No. 151776)** from the Register of Members for a period of 02(Two) years. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Ujjavalkumar Vallabhdas Chaniyara (Membership No. 151776)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 02(Two) years with effect from 26th November, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./478/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231425
CG-DL-E-27112021-231425

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 615]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943

No. 615]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-173/2017-डीडी/208/2017-डीसी/985/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. अनंत कंकानी (सदस्यता सं. 111603), एल्लैक इंजीनियरिंग सर्विसेज, एबी 20, 5वीं स्ट्रीट, अन्ना नगर, चेन्नई 600 040 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 2 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. अनंत कंकानी (सदस्यता सं. 111603) के नाम को 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. अनंत कंकानी (सदस्यता सं. 111603) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 05 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./479/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-173/2017-DD/208/2017-DC/985/2019.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Anant Kankani (Membership No. 111603), ELMACK Engineering Services, AB 20, 5th Street, Anna Nagar, CHENNAI 600 040**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (2) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Anant Kankani (Membership No. 111603)** from the Register of Members for a period of 05(Five) years. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Anant Kankani (Membership No. 111603)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 05(five) years with effect from 26th November, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./479/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231426
CG-DL-E-27112021-231426

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 602]
No. 602]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्राहायण 5, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/एचजी/168/15-डीडी/04/आईएनएफ/16-डीसी/930/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. सिद्धार्थ श्याम शेट्टी (सदस्यता संख्या 116188), अरण्येश्वर पार्क, ए विंग दूसरी मंजिल, अरण्येश्वर मंदिर के समीप, सहकार नगर 1, पुणे 411 009 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (5) और (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. सिद्धार्थ श्याम शेट्टी (सदस्यता संख्या 116188) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. सिद्धार्थ श्याम शेट्टी (सदस्यता संख्या 116188) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./466/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA*(Set up by an Act of Parliament)***NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/HG/168/15-DD/04/INF/16-DC/930/18.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Siddharth Shyam Shetye (Membership No. 116188), Aranyeshwar Park, A Wing 2nd Floor, Near Aranyeshwar Temple, Sahakar Nagar 1, PUNE 411 009**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (5) & (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Siddharth Shyam Shetye (Membership No. 116188)** from the Register of Members for a period of 01(One) year. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Siddharth Shyam Shetye (Membership No. 116188)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) year with effect from 26th November, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./466/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231427
CG-DL-E-27112021-231427

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943

No. 603]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर-203/2017-डीडी/213/2017-डीसी/1017/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. श्रीकांत शंकर निरोनी (सदस्यता सं. 215563), दुकान सं. 1-655/जी-14, नई टिम्मापुरी काम्प्लेक्स, एस वी पी चौक एमएसके मिल रोड, कलबुर्गी- 585102 (कर्नाटक) को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. श्रीकांत शंकर निरोनी (सदस्यता सं. 215563) के नाम को 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 25,000/- रुपए (पच्चीस हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। तथापि, अनुशासन समिति द्वारा दिए गए दंड को अपील संख्या 30/आईसीएआई/2020 द्वारा अपीलिय प्राधिकरण ने अपने 11 फरवरी, 2021 के आदेश द्वारा संशोधित करके नाम हटाए जाने की अवधि को 02 (दो) वर्ष से घटाकर 03 (तीन) माह कर दिया है इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. श्रीकांत शंकर निरोनी (सदस्यता सं. 215563) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./467/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR-203/2017-DD/213/2017-DC/1017/2019.— In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Shrikant Shankar Nironi (Membership No. 215563), Shop No. 1-655/G-14, New Timmapuri Complex, S V P Chowk MSK Mill Road, KALABURAGI- 585102 (Karnataka)**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Shrikant Shankar Nironi (Membership No. 215563)** from the Register of Members for a period of 02(Two) years and also imposed a fine of Rs. 25,000/-(Rupees Twenty Five Thousand) only. However, the punishment awarded by the Disciplinary Committee has been modified by the Appellate Authority vide its order dated 11th February, 2021 in Appeal no. 30/ICAI/2020 by reducing the period of removal from two year to three months. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Shrikant Shankar Nironi (Membership No. 215563), shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(three) months with effect from 26th November, 2021.**

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./467/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231428
CG-DL-E-27112021-231428

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 606]
No. 606]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/34/2012-डीडी/53/2012/बीओडी/177/2014.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन बोर्ड ने, सीए. पराग विनोदचंद्र मेहता (सदस्यता सं. 036867), 114/114-ए, जॉली भवन नंबर 1, 10, न्यू मरीन लाइन्स, मुंबई 400 020 को, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग 4 की मद (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. पराग विनोदचंद्र मेहता (सदस्यता सं. 036867) के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. पराग विनोदचंद्र मेहता (सदस्यता सं. 036867) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./470/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA*(Set up by an Act of Parliament)***NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/34/2012-DD/53/2012/BOD/177/2014.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Parag Vinodchandra Mehta (Membership No. 036867), 114/114-A, Jolly Bhavan No.1, 10, New Marine Lines, MUMBAI 400 020**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Item (2) of Part IV of the First Schedule read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of **CA. Parag Vinodchandra Mehta (Membership No. 036867)** from the Register of Members for a period of 3(Three) months and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Parag Vinodchandra Mehta (Membership No. 036867)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 3(Three) months with effect from 26th November, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./470/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231429
CG-DL-E-27112021-231429

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 607]
No. 607]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/163/2016-डीडी/302/2016/बीओडी/449/2018.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन बोर्ड ने, सीए. वीरेन ललितभाई पटेलिया (सदस्यता सं. 163142), बी-20-001, सेक्टर-1, शांति नगर, मीरा रोड-ईस्ट, मीरा रोड (महाराष्ट्र) 401 107 को, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. वीरेन ललितभाई पटेलिया (सदस्यता सं. 163142) के नाम को 15 (पन्द्रह) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 75,000/- रुपए (पचहतर हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. वीरेन ललितभाई पटेलिया (सदस्यता सं. 163142) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 15 (पन्द्रह) दिन की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./471/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA*(Set up by an Act of Parliament)***NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/163/2016-DD/302/2016/BOD/449/2018.— In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Viren Lalitbhai Pateliya (Membership No. 163142), B-20-001, Sector-1, Shanti Nagar, Mira Road-East, MIRA ROAD (Maharashtra) 401 107**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of the First Schedule read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of **CA. Viren Lalitbhai Pateliya (Membership No. 163142)** from the Register of Members for a period of 15(fifteen) days and also imposed a fine of Rs. 75,000/- (Rupees Seventy Five Thousand) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Viren Lalitbhai Pateliya (Membership No. 163142)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 15(Fifteen) days with effect from 26th November, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./471/2021-22]



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27112021-231430
CG-DL-E-27112021-231430

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 610]
No. 610]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/104/15-डीडी/77/आईएनएफ/15-बीओडी/402/17.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन बोर्ड ने, सीए. खेम चंद गांधी (सदस्यता सं. 047508), कमरा सं. 207, दूसरी मंजिल, सोना चेम्बर्स, 507/509, जे एस एस रोड (चिरा बाजार), मुंबई 400 002 को, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग 4 के खंड (2) के अर्थान्तर्गत 'अन्य कदाचार' का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. खेम चंद गांधी (सदस्यता सं. 047508) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और केवल 1,00,000/- रुपए (एक लाख रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. खेम चंद गांधी (सदस्यता सं. 047508) का नाम, 26 नवंबर, 2021 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./474/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA*(Set up by an Act of Parliament)***NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/104/15-DD/77/INF/15-BOD/402/17.— In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Khem Chand Gandhi (Membership No. 047508), Room No. 207, Second Floor, Sona Chambers, 507/509, J S S Road(Chira Bazar), MUMBAI 400 002**, guilty of 'Other Misconduct' falling within the meaning of Clause (2) of Part IV of the First Schedule read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of **CA. Khem Chand Gandhi (Membership No. 047508)** from the Register of Members for a period of 01(One) month and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Khem Chand Gandhi (Membership No. 047508)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 26th November, 2021.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./474/2021-22]